

Participants : [Mahabir Prasad Shri](#)

>

Title : Statement regarding status of implementation of recommendations in 160th, 162nd, 163rd, 167th, 171st, 173rd and 175th Reports of Standing Committee on Industry pertaining to the Ministry of Small Scale Industries (SSI).

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ (gÉÉÒ àÉcÉ'ÉÉÒ® |É°ÉÉn) : मैं, माननीय अध्यक्ष, लोक सभा के निदेश पर तथा लोकसभा के दिनांक 1 सितम्बर, 2004 बुलेटिन भाग-II में निहित लोक सभा में प्रक्रिया नियमावली तथा कार्य संचालन के प्रावधानों के अनुसरण में विभाग संबंधित उद्योग संबंधी संसदीय स्थायी समिति की 160वीं, 162वीं, 163वीं, 167वीं, 171वीं, 173वीं तथा 175 वीं रिपोर्टों में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में यह वक्तव्य देता हूँ।

लघु उद्योग मंत्रालय से संबद्ध उद्योग संबंधी संसदीय स्थायी समिति की 'उद्योगों के विभिन्न भागों को प्रभावित करने वाले कर प्रस्तावों' पर 160वीं रिपोर्ट में 21 सिफारिशें/टिप्पणियां हैं। ये सिफारिशें/टिप्पणियां सामान्य रूप में तथा उद्योगों के विभिन्न भागों को प्रभावित करने वाले उत्पाद शुल्क/सीमा शुल्क ढांचे तथा सेवा कर के तार्किकीकरण/सरलीकरण से संबंधित हैं। मेरे मंत्रालय ने इन सिफारिशों/टिप्पणियों के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की है। प्रत्येक सिफारिश/टिप्पणी पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा देने वाली कृत कार्रवाई टिप्पण को 12.9.2005 को समिति के सचिवालय को भेज दिया गया है।

'महाराष्ट्र में लघु उद्योग क्षेत्र को ऋण उपलब्धता' पर 162वीं रिपोर्ट में सात सिफारिशें/टिप्पणियां हैं। ये मुख्यतः लघु उद्योग क्षेत्र पर वैश्वीकरण/उदारीकरण के प्रभाव और ऋण संबंधी मुद्दों से संबंधित हैं। मेरे मंत्रालय ने इन सिफारिशों/टिप्पणियों के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की है। प्रत्येक सिफारिश/टिप्पणी पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा देने वाली कृत कार्रवाई टिप्पण को 29.9.2005 को समिति के सचिवालय को भेज दिया गया है।

'बुलंदशहर क्षेत्र में लघु उद्योग क्षेत्र को ऋण उपलब्धता' पर 163वीं रिपोर्ट में सात सिफारिशें/टिप्पणियां हैं। ये बुलंदशहर क्षेत्र में लघु उद्योग क्षेत्र को ऋण प्रवाह और आधारभूत संरचना विकास से संबंधित मामलों के बारे में हैं। मेरे मंत्रालय ने इन सिफारिशों/टिप्पणियों के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की है। प्रत्येक सिफारिश/टिप्पणी पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा देने वाली कृत कार्रवाई टिप्पण को 28.9.2005 को समिति के सचिवालय को भेज दिया गया है।

*Laid on the table and also placed in the Library, See No. LT 4465/2006

लघु उद्योग मंत्रालय की 'अनुदान की मांग (2004-05)' संबंधी 167वीं रिपोर्ट में सत्रह सिफारिशें/टिप्पणियां हैं। ये राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) संबंधी मामलों, क्रेडिट संबंधी मुद्दों, सीमित उत्तरदायित्व भागीदारी अधिनियम, सनराइज उद्योगों का संवर्धन, रुग्ण लघु

उद्योग इकाइयों का पुनर्वास, लघु उद्योग क्षेत्र के लिए अनुकूल कर पद्धति और लघु उद्योगों के लिए खरीद वरीयता के मामलों से संबंधित हैं। मेरे मंत्रालय ने इन सिफारिशों/टिप्पणियों के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की है। प्रत्येक सिफारिश/टिप्पणी पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा देने वाली कृत कार्रवाई टिप्पण को 27.9.2005 को समिति के सचिवालय को भेज दिया गया है।

लघु उद्योग मंत्रालय की 'अनुदान की मांग (2005-06)' संबंधी 171वीं रिपोर्ट में 66 सिफारिशें/टिप्पणियां हैं। ये क्रेडिट, प्रौद्योगिकी, निर्यात और आधारभूत संरचना सहयोग संबंधी मुद्दों, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) से संबंधित मुद्दों, मंत्रालय की योजनाओं/नीतियों का कार्यान्वयन, पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम में परियोजनाओं/योजनाओं के लिए प्रावधान, असंगठित क्षेत्र में उद्यमों पर राष्ट्रीय आयोग, अति लघु/माइक्रो उद्यमों के लिए नीतियों, सीमित उत्तरदायित्व भागीदारी अधिनियम, लघु उद्योग निर्यातों का संवर्धन और लघु उद्योगों के लिए एकल कानून के मुद्दों से संबंधित हैं। मेरे मंत्रालय ने इन सिफारिशों/टिप्पणियों के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की है। प्रत्येक सिफारिश/टिप्पणी के संबंध में की गई कार्रवाई का ब्यौरा देने वाले कृत कार्रवाई टिप्पण को 24.11.2005 को समिति के सचिवालय को भेज दिया गया है।

'लघु उद्योगों के संवर्धन के लिए अंतर-क्षेत्रीय कार्यनीतिक सहयोग' पर 173वीं रिपोर्ट में 61 सिफारिशें/टिप्पणियां हैं। ये एसएमई के प्रौद्योगिकी प्रबंधन, बड़े और लघु उद्योग क्षेत्र के बीच सहयोग और लिंकेज, एसएमई क्षेत्र में सनराइज उद्योगों के संवर्धन, उत्पाद विशिष्ट मुद्दों, कोयले की आपूर्ति और रेलवे द्वारा परिवहन से संबंधित मुद्दों, ऋण संबंधी मुद्दों, लघु उद्योगों को प्रभावित करने वाले कानूनी ढांचे और वैश्वीकरण/उदारीकरण से उभरने वाले मुद्दों से संबंधित हैं। मेरे मंत्रालय ने इन सिफारिशों/टिप्पणियों के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की है। प्रत्येक सिफारिश/टिप्पणी के संबंध में की गई कार्रवाई का ब्यौरा देने वाले कृत कार्रवाई टिप्पण को 17.11.2005 को समिति के सचिवालय को भेज दिया गया है।

'चुनिंदा राज्यों में लघु उद्योगों के प्रमुख सरोकार क्षेत्रों' के संबंध में 175वीं रिपोर्ट में 45 सिफारिशें/टिप्पणियां हैं। ये मुख्यतः उड़ीसा, गुजरात, कर्नाटक, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों में लघु उद्योग इकाइयों के विकास से संबंधित हैं। मेरे मंत्रालय ने इन सिफारिशों/टिप्पणियों के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की है। प्रत्येक सिफारिश/टिप्पणी के संबंध में की गई कार्रवाई का ब्यौरा देने वाले कृत कार्रवाई टिप्पण को 14.11.2005 को समिति के सचिवालय को भेज दिया गया है।

समिति द्वारा की गई प्रमुख सिफारिशों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति इस वक्तव्य के अनुबंध I से VII में विस्तृत की गई है, जिसे सदन के पटल पर रख दिया गया है। मैं इन अनुबंधों की विाय-वस्तु को पढ़ने में सदन का मूल्यवान समय नहीं लेना चाहूंगा तथा अनुरोध करूंगा कि इन्हें पढ़ा हुआ मान लिया जाए [KDS]।